UPSD180004182017

Criminal Case/899/2017

न्यायालय सिविल जज (जू०डि०)/न्यायिक मजिस्ट्रेट डुमरियागंज, सिद्धार्थनगर।

उपस्थित – उमम ज़ाहिद (उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा)

फौजदारी वाद संख्या – 1036/2019

(CIS No.–899/2017)

राज्य **बनाम** मो० इस्लाम आदि

एन.सी.आर.नं० – 109/2016

धारा – 323, 504, 506 भा०दं०सं०

थाना भवानीगंज, जनपद सिद्धार्थनगर।

दिनांक–22.12.2023

बयान मुल्जिम जुर्म इकबालिया

नाम – मो० इस्लाम, उम्र – 66 वर्ष, पिता का नाम – हबीबुल्लाह, पेशा – कृषि, निवासी ग्राम – हटवा बुजुर्ग, थाना – भवानीगंज, जनपद – सिद्धार्थनगर, राज्य – उत्तर प्रदेश।

प्रश्न सं०–1 अभियोजन कथानक संक्षेप में इस प्रकार है कि आपके द्वारा दिनांक 02.12.2016 को समय करीब 04.00 बजे सायं दीवाल उठाने के विवाद को लेकर आप अभियुक्त ने सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर वादी मुकदमा अजीज अहमद को लाठी–डंडा से मारा–पीटा, गाली–गलौज दिया एवं जान से मारने की धमकी दिया। इस सम्बन्ध में आपने जुर्म इकबाल किया है?

उत्तर–

प्रश्न सं०–2 क्या आप अपना जुर्म स्वेच्छा से स्वीकार कर रहे हैं?

उत्तर–

प्रश्न सं०–3 क्या आपको और कुछ कहना है?

उत्तर–

दिनांक–22.12.2023

(उमम ज़ाहिद)
सिविल जज(जू०डि०)/जे०एम०,
डुमरियागंज, सिद्धार्थनगर।
जे.ओ.कोड– UP3654

क्रमशः___

दिनांक–22.12.2023

पत्रावली पेश हुई। अभियुक्त मो० इस्लाम पुत्र हबीबुल्लाह अपने अधिवक्ता के साथ न्यायालय में हाजिर आया। पत्रावली वास्ते साक्ष्य दिनांक 09.01.2024 को नियत है, अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उक्त तिथि को बदलकर आज सुनवाई किये जाने हेतु डेट डिजॉल्व प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया जिसे न्यायालय द्वारा स्वीकृत किया गया। तत्पश्चात् अभियुक्त की ओर से अधिवक्ता के माध्यम से स्वेच्छया जुर्म इकबाल किये जाने का प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया। अभियुक्त का बयान जुर्म संस्वीकृति अंकित किया गया जिसमें उसने स्वेच्छापूर्वक अपने जुर्म को इकबाल किया है।

अभियुक्त को उसके स्वेच्छया जुर्म संस्वीकृति के आधार पर लगाये गये आरोप धारा 323, 504, 506 भा०दं०सं० में दोषसिद्ध किया जाता है। अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा में लिया जाए। अभियुक्त को दण्ड के बिन्दु पर सुना जाएगा।

दिनांक–22.12.2023

(उमम ज़ाहिद)
सिविल जज(जू०डि०)/जे०एम०,
डुमरियागंज, सिद्धार्थनगर।
जे.ओ.कोड– UP3654

दिनांक–22.12.2023

दण्ड के बिन्दु पर सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अभियुक्त द्वारा बयान किया गया कि प्रार्थी अपना जुर्म स्वेच्छया स्वीकार कर रहा है। अतः जुर्म इकबाल के आधार पर मुकदमा निर्णीत किये जाने की याचना की गई है।

विद्वान सहायक अभियोजन अधिकारी को जुर्म संस्वीकृति प्रार्थनापत्र पर सुना गया।

अभियुक्त जमानत पर न्यायालय में उपस्थित है। अभियुक्त द्वारा स्वयं जुर्म इकबाल किया गया है। पत्रावली के अवलोकन से यह विदित होता है कि अभियुक्त का मुकदमा वर्ष 2017 का है। अभियुक्त वृद्ध व्यक्ति है, जिसकी वृद्धावस्था को देखते हुए अभियुक्त को निम्नांकित सजा एवं अर्थदण्ड से दण्डित किया जाना समीचीन होगा।

दण्डादेश

अभियुक्त मो० इस्लाम पुत्र हबीबुल्लाह को दण्ड वाद सं० 1036/2019, एन.सी.आर.नं० 109/2016, धारा–323, 504, 506 भा०दं०सं०, थाना भवानीगंज, जिला सिद्धार्थनगर के अपराध का दोषी पाये जाने पर **न्यायालय उठने तक की सजा एवं धारा–323 भा०दं०सं० के तहत मु० 1000/–, धारा–504 भा०दं०सं० के तहत मु० 500/– व धारा–506 भा०दं०सं० के तहत मु० 1000/– कुल अंकन मु० 2,500/– (पच्चीस सौ रु०) अर्थदण्ड** से दण्डित किया जाता है।

अर्थदण्ड अदा न किये जाने की स्थिति में अभियुक्त को उक्त धाराओं में दस–दस दिन का अतिरिक्त कारावास भोगना पड़ेगा, जो कि (सजायें) क्रमागत रूप से (Consecutively) एक के बाद एक चलेंगी। अभियुक्त जमानत पर है। उसके बन्धपत्र निरस्त किये जाते हैं तथा प्रतिभुओं को उनके दायित्वों से उन्मोचित किया जाता है। अभियुक्त के विरुद्ध पूर्व में यदि कोई आदेशिका

निर्गत की गई है तो वह निरस्त की जाती हैं। तदनुसार मुकदमे की कार्यवाही उपरोक्त अभियुक्त के विरुद्ध निस्तारित की जाती है। पत्रावली वास्ते विचारण शेष अभियुक्त दिनांक 09.01.2024 को पेश हो।

दिनांक–22.12.2023

(उमम ज़ाहिद)
सिविल जज(जू०डि०)/जे०एम०,
डुमरियागंज, सिद्धार्थनगर।
जे.ओ.कोड– UP3654